

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 209580

पटना, दिनांक 21-11-2014

ग्रा0वि07(आं)-57/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:-


e-FMS के संदर्भ में जिन प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रभार में भी हैं वहाँ, लेखापाल (मनरेगा) तथा लेखापाल (मनरेगा) की अनुपस्थिति में प्रखंड लेखापाल को Maker नामित जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि e-FMS के संचालन में ऐसे मामले आये हैं कि कतिपय जिलों के प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्यक्रम पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिससे कि e-FMS अन्तर्गत मनरेगा मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ।

अतः जिन प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रभार में भी हैं वहाँ, सम्यक विचारोपरांत, लेखापाल (मनरेगा) तथा लेखापाल (मनरेगा) की अनुपस्थिति में प्रखंड लेखापाल को Maker नामित किया जाता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व की भाँति Checker रहेंगे ।

विश्वासभाजन


(एस0 एम0 राजू)
सचिव । 19/11/14
